न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल.एन.मंत्री, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 269/2021 अपील/ चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/288)
पंजीयन दिनांक– 01.10.2021
निर्णय दिनांक– 30.12.2021

1. श्रीमती रतन बेवा देवा चमार, निवासी सीमलवाड़ा, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, सीमलवाड़ा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री कन्हैयालाल पाटीदार – अधिवक्ता अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के
प्रकरण संख्या 11/2012 निर्णय दिनांक 02.12.2013

निर्णय

दिनांक 30.12.2021

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 11/2012 निर्णय दिनांक 02.12.2013 के विरूद्ध दिनांक 30.09.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट/विपक्षी खातु पिता पेमा, रतन बेवा देवा चमार, निवासी सीमलवाडा को मौजा सीमलवाडा के खसरा नम्बर 2264/1549 रकबा 1.00 बीघा भूमि गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर जरिये नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 16.07.1988 द्वारा अमल दरामद किया गया है। अपीलांट/विपक्षी का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है, न ही आवंटन शर्तों की पालना की गई है। वर्णित खसरा नम्बर की संपूर्ण भूमि सीमलवाडा से मांडली सड़क (डामर) बन गई है, मौके पर कोई भूमि शेष नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालन नही किये जाने और मौके पर कब्जा भी नही होने से आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 11/2012 निर्णय दिनांक 02.12.2013 से रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट/विपक्षी द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.12.2013 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"प्रस्तुत मामले में आवंटी विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। जबकि आवंटी विपक्षी को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटी विपक्षी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के 1/50 भाग पर तथा द्वितीय वर्ष में शेष 1/50 वें भाग पर काश्त करनी थी, विपक्षी को भूमि आवंटित हुए काफी अवधि व्यतीत हो चुकी है, तदुपरांत भी विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि में आदिनांक तक काश्त नहीं कर उक्त नियमों के नियम 14(3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है। मौके पर सड़क निकल जाने से अब कोई भूमि भी शेष*

नहीं रही है जिसके परिणामस्वरूप आवंटन निरस्ती योग्य है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा सीमलवाड़ा में खसरा नम्बर 2264/1549 रकबा 1.0 बीघा भूमि का विपक्षीगण के नाम हुए आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सीमलवाडा उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर जरिये नामांतरकरण राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करें। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड़ अधिकारी, सीमलवाड़ा तथा तहसीलदार, सीमलवाड़ा को लिखा जावें।"

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल पाटीदार, उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.12.2021 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का वर्णित आराजीयात पर 20 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि आवंटन के बाद खातु पिता पेमा एवं देवा पिता पुंजा का कब्जा–काश्त लगातार उनके जीवनकाल तक दर्ज होता रहा है, उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। आराजी नम्बर 2264/1549 रकबा 1.00 बीघा पर बाजरी, मक्का की पैदावार की जा रही है, व आज भी की जा रही है। सीमलवाड़ा से मांडली डामर सड़क बनने पर अपीलांट की कब्जेशुदा आवंटित आराजी में से 0.01 बिस्वा जमीन सड़क में चली गई है, उक्त सड़क में गई जमीन अपीलांट को आवंटित आराजी के बिच में से निकलने से अपीलांट को अवांटित भूमि के दो हिस्से हो गये है, सड़क में गई भूमि अलावा बाकी भूमि मौके

पर मौजूद है। आवंटित भूमि पर अपीलांट के द्वारा एक कमरा बनाना, जमीन के चारों ओर पत्थरों का परकोटा बनाकर लोहे का दरवाजा लगाया है व रोड़ के दुसरी तरफ पिल्लर लगाकर तारबंदी कर रखी है। आवंटी श्री खातु पिता पेमा, देवा पिता पुंजा चमार को आवंटित आराजी में से दोनो अपने आधे–आधे हिस्से की आवंटित आराजीयात पर कमाते आ रह है, खातु पिता पेमा एवं देवा पिता पुंजा चमार दोनो आपस में काका भाई थे, रतन स्वर्गीय देवा पिता पुंजा की पत्नि है, खातु पिता पेमा की लाऔलाद मृत्यु हो जाने से खातु के हिस्से की जमीन पर रतन ही काबिज होकर आज दिनांक तक काश्त करती आ रही है। मामले में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका दिनांक 18.05.2010 पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है एवं नही उसके द्वारा कोई प्रतिनिधि मुर्कर्रर किया गया है नही इसकी कोई जानकारी है। रेस्पोडेंट के द्वारा नियम 21 का उल्लघंन करना फ्रॉड एवं मिस रिप्रजेंटेशन के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन करना बताया गया है, पंरतु अपीलांट ने किस प्रकार नियमों का उल्लघंन किया है यह न ता अपने प्रार्थना पत्र में एवं नही अपनी बहस में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नियम 14(3) के अनुसार प्रथम वर्ष आवंटित भूमि 1/50 भाग पर तथा द्वितीय वर्ष 1/50 वें भाग पर काश्त करनी थी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में 50 प्रतिशत आवंटित भूमि पर काश्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में तैयार की गई मौका रिपोर्ट को नही मानकर वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिए थी, जिससे वास्तविक वस्तुस्थिती की जानकारी प्राप्त हो सकती थी। अपीलांट के नाम आवंटन के बाद नामांतरकरण संख्या 88 दिनांक 16.07.1988 को खाते में दर्ज होकर 3 साल बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है, खातेदारी देने का काम तहसीलदार का है, तहसीलदार द्वारा जानबूझ कर भूमि के खातेदारी अधिकार

प्रदान नही किये एवं अधीनस्थ न्यायालय में मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्ती की कार्यवाही करवाई गई, जिसे निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 02.12.2013 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा दौराने अपील बहस मौका निरीक्षण का आवेदन दिया है, जिसका मौलिक उद्देश्य कब्जे हेतु साक्ष्य एकत्रित करना है, न्यायालय किसी भी पक्षकार के लिये साक्ष्य नही कर सकता तद्नुसार अपीलांट का आवेदन खारिज किया जाता है। दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा कतिपय दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जिन्हें शामिल फाईल किये गये।

8. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2013 को पारित होना बताया गया है, जिसकी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.09.2021 को हुई। अपीलांट ने दिनांक को 13.09.2021 को नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 20.09.2021 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह अपील अंदर मयाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर अपीलाण्ट का आवंटन निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 02.12.2013 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 13.03.2013 की आदेशिका में यह वर्णित किया गया है कि विपक्षीगण को जारी नोटिस में विपक्षी रतन बेवा देवा चमार तामील होकर उपस्थित है एवं जवाब का अवसर चाहा है तथा दिनांक 09.04.2013 की आदेशिका में यह वर्णित किया है

कि विपक्षी रतन बेवा देवा चमार की ओर से श्री कन्हैयालाल पाटीदार एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ है। आदेशिका अनुसार विपक्षी एवं विपक्षी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए है एवं जबाव हेतु अवसर चाहा जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अपीलांट एवं अधिवक्ता स्वेच्छापूर्वक 01.10.2013 से अनुपस्थित है।

9. प्रकरण में हम यह पाते है कि अपीलाण्ट विवादित भूमि का आवंटी रहा है तथा वक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होना एवं जवाब हेतु अवसर चाहा जाना एवं उसकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत करना एवं आश्चर्यजनक रूप उसी वकील द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना, अर्थात् अपीलाण्ट को स्वयं को आवंटित भूमि पर यदि उसके विरूद्ध उसे स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ एवं जवाब हेतु अवसर चाहा है तो आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी उसे सर्वप्रथम दिनांक 06.09.2021 को उसके दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन अनुसार किस प्रकार होगी जबकि अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होकर जवाब हेतु अवसर चाहा है। स्पष्टतः अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से अपीलांट को नोटिस प्राप्त होकर जवाब हेतु अवसर चाहा है एवं उसकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया है, इसका आशय यह होता है कि विवादित भूमि का आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण होने की जानकारी उसे वर्ष 2013 से स्पष्ट रूप से है परन्तु उसके द्वारा दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में त्रुटिपूर्ण भ्रामक एवं अस्वच्छ हाथों से वर्णन किया है कि उसे सर्वप्रथम 26.09.2021 को जानकारी हुई। अपीलाण्ट जब स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा उसे वर्ष 2013 से उक्त भूमि आंवटन निरस्तीकरण प्रकरण की उसे जानकारी होना स्वाभाविक है। वर्ष 2013 से जब उसे इस आवंटन निरस्तीकरण प्रकरण की जानकारी है तो उसके द्वारा दिनांक 01.10.2021 को अपील प्रस्तुत किया जाना निःसंदेह 09

वर्ष करीब का विलम्ब है जिसके लिए उसके द्वारा कोई संतोषप्रद आधार नहीं दिये गये हैं, इसके विपरीत अपील मेमों एवं दफा 5 जाप्ता मयाद के आवेदन में जो तथ्य दिये गये हैं, वे सद्भावी तथ्य नहीं होकर विरोधाभासी तथ्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार उसे आवंटन निरस्तीकरण होने की जानकारी वर्ष 2013 से होना प्रमाणित है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलाण्ट के स्वच्छ हाथों से नहीं आने एवं प्रकरण में विलम्ब का कोई औचित्यपूर्ण कारण दर्शित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट बैरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर